






आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10:- 36/2019

तारीखरजु:- 11-4-19

उनवान:- धनसिंह बनाम वीरसिंह बगैठ

दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188रा0टि0एक्ट

क्र	फर्द अहकाम
11/19	<p>वादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25.04.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;"> 1383-143 11-4-19 </p> <p> 25/4/19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>गुलाब कर्मठ</u> करौली पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>13/6/19</u> को पेश हो। </p>
13.6.19	<p>वादी चकील उपो/प्रतिवादी नं. 1 से 8 की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत A/N ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 9, 10, 19, 20, 21 का पत्र सूचना उपस्थित नहीं है, इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 11 से 18 के सम्मन अप्राम ताभील प्राप्त हुए हैं। इनके लम्बील हेतु पुनः सहीपते पर सम्मन तलवाना पेश करें। इसके तलबी व जबाब पेश करने दिनांक 25.6.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
25.6.19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>किशोर</u> पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>25.7.19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
25.7.19	<p>वकूलाय उपो/ वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दि 9-8-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>
8/19	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>करौली</u> पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>6-9-19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>



309097
 9-8-19

दिनांक 4.9.23 पगावली घेरा डही समस्त वाडीगणो ने उपरोक्त उनवानी प्रकरण धनसिंह बनाम वीरसिंह वर्गे० में अदम पैरवी मे स्वारिज करवाने का निवेदन किया। उपरोक्त पगावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पापा गया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे प्रतिवाडी न०। लगा०५ का काउन्टर क्लेम जरिफे वकील श्री राजकुमार सिंह एड००५ द्वारा घेरा कर रखा था। आज दिनांक को उक्त प्रतिवाडीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र घेरा किया कि उक्त काउन्टर क्लेम प्रतिवाडी न०। लगा०५ को वापस लिपा जाला है। एवं उक्त प्रकरण को अदम पैरवी मे स्वारिज करवाने का निवेदन किया।

उक्त प्रतिवाडीगण के प्रार्थनापत्र काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया। उक्त उनवानी प्रकरण में पूर्व मे ही दिनांक 15.9.23 से तलब की गई। अवलोकन करने पर पापा गया है कि वाडी एवं प्रतिवाडीगण एवं उनके अधिवक्ता पगावली को आगे नही चलाना चाहेते है। इसलिये पगावली अदम छोदरी एवं अदम पैरवी मे स्वारिज की जाती है। पगावली फैसल शुआर होउर नम्बर से कम होउर दाखिल इफ्तल हो।

(५)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)